न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2016 – आ0नि0

1 श्री देवकरण पिता उगमा गुर्जर 2 श्री मोतीराम पिता गोकल गुर्जर 3 श्री ओम प्रकाश पिता रामदेव बैरवा 4 श्री जगदीश पिता भागीरथ बैरवा 5 श्री पॉचु पिता अर्जुन बैरवा 6 श्री मदन लाल पिता रामा बैरवा 7 श्री मेवा पिता घीसू बैरवा 8 श्री राधेश्याम पिता हनुमान दास वैष्णव 9 श्री देबीलाल पिता बिजु रेगर सभी निवासी डियास तहसील फूलिया कलां जिला भीलवाड़ा –प्रार्थीगण	बनाम	1 श्री पांचूलाल पिता उगमा गुर्जर नि0 डियास तह0 फुलियाकलां 2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) बमामले भूमि आवंटन दिनांक 18/02/2013

उपस्थित –

1. श्री दिनेश सिशोदिया, अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित नहीं
2. श्री अम्बालाल कुमावत अधि0 – विपक्षी सं0 1 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी सं0 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.09.2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध दिनांक 11.09.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम डियास के निवासी होकर ग्राम डियास के उत्तरोतर विकास एवं सार्वजनिक हितार्थ कार्य करने के लिए निहित है। प्रार्थीगण की ओर से बहैसियत स्वंय एवं बहैसियत प्रतिनिधि के तौर पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम डियास की आराजी नं. 807 में से 0.50 हैं0 भूमि का आवंटन विपक्षी सं0 एक को 18.02.2013 को आवंटन सलाहकार समिति ने मनमाने, अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित कर दी हैं जो निरस्त योग्य हैं क्योंकि उक्त आवंटितसुदा आराजी भूमि पर ग्राम डियास के अन्य व्यक्तियों के नाजायज कब्जे किए हुए हैं उक्त भूमि आवंटन योग्य न होते हुए भी विपक्षी को आवंटन की गई हैं जो निरस्त योग्य हैं, क्योंकि आवंटनसुदा भूमि डियास के नाथडियास जाने वाले रास्ते का भूभाग है। आवंटन सलाहकार समिति में राजनैतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके आवंटन कराया गया जो निरस्त योग्य है। आवंटी भूमिहीन सदभावी काश्तकार नहीं है। ग्राम डियास में पहले से ही पशुओं के लिए चराई हेतु भूमि कम है। अतः विपक्षी को किया गया उक्त आवंटन विधि विपरीत

होकर निरस्त योग्य हैं क्यों कि उक्त आराजियात भूमि पर गॉवाई पशु चरते है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को भूमि का आवंटन किया गया हैं जो सर्वथा गलत होकर अवैध है। आवंटन में आवंटन शर्तो की पुर्णरूप से पालना नहीं की गई है। आवंटन आदेश पर किसी मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर भी नहीं है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों के तहत आवंटन कार्यवाही नहीं की गई है। अतः ग्राम डियास में इन आवंटियो को आवंटन की कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व हैं। यह भी निवेदन किया कि आवंटन करने में आवंटन सलाहकार समिति ने गंभीर त्रुटि की हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के साथ भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत कराते हुए विपक्षी सं0 1 के पक्ष में ग्राम डियास की आराजी नं0 807 मे रकबा 0.50 हैक्टयर भूमि के किए गए आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2013 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रेकार्ड़ तलब किया गया।

उभयपक्षकारान् की सुनवायी कर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.10.2014 को पारित किया गया । निर्णय में अंकित किया कि विपक्षी द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। आवंटन आवेदन पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के पास ग्राम डियास में 0.39 हैक्ट. सिचिंत भूमि पहले से ही उसके खाते तें अभिलिखित है। सिचिंत भूमि को नियमानुसार डबल करने पर 0.78 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी के पास होती हैं । इस प्रकार अप्रार्थी के पास पर्याप्त भूमि होकर वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता हैं। अप्रार्थी भूमि आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता था , फिर भी अप्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य अंकित करके भूमि आवंटन करवाई गई , जो प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत होकर आवंटन निरस्त योग्य ही ठहरता है। भू आंवटन कमेटी द्वारा दिनांक 18.02.2013 को विपक्षी को ग्राम डियास पटवार हल्का अरवड़ तहसील फुलियाकलां में आ. नं. 807 में रकबा 0.50 हैक्ट. भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया गया हैं।

इस न्यायालय के प्रकरण सं. 73/2013 निर्णय दिनांक 15.10.2014 के विरूद्व अप्रार्थी अपीलार्थी श्री पांचूलाल गुर्जर निवासी डियास तहसील फुलियाकलां ने माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी , भीलवाडा के यहां अपील प्रकरण सं. एल. आर./173/2014 से दर्ज कराई । माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 14.12.2015 के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.10.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया हैं कि वे इस तथ्य की जॉंच करे कि क्या विवादित भूमि उद्घोषणा से पूर्व आवंटन हेतु अनओक्यूपाईड (Unoccupied) भूमि थी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरांत भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट का सत्यापन किन कारणों से नहीं किया गया ? उल्लेखित विवरणानुसार तथ्यों की जॉंच कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने के निर्देश दिये गये ।

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा से प्राप्त प्रकरण को दिनांक 01.02.2016 को पुनः इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा उभयपक्षकारान् को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए।

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के निर्णय दिनांक 14.12.2015 में निर्देश दिया कि विवादित भूमि उद्घोषणा से पूर्व

आवंटन हेतु अनओक्यूपाईड (Unoccupied) भूमि थी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरांत भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट का सत्यापन किन कारणों से नहीं किया गया ? उल्लेखित विवरणानुसार तथ्यों की जाँच कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने के निर्देश दिये गये। इन निर्देशों के अंतर्गत अपीलाण्ट विपक्षी सं. 01 से साक्ष्य ली गयी । आवेदन पत्र की जांच के लिये भू आवंटन नियम 10 के तहत उपखण्ड अधिकारी अधिकृत हैं। उपखण्ड अधिकारी आवेदन पत्र की जांच अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी से करवा सकता हैं , लेकिन भू आवंटन नियमों में भू अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट लिये जाने का प्रावधान नहीं हैं। आवंटन कार्यवाही से पूर्व अनओक्यूपाईड भूमि की ही उद्घोषणा होती हैं। आवंटन आवेदन पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के पास ग्राम डियास में 0.39 हैक्ट. सिचिंत भूमि पहले से ही उसके खातें में अभिलिखित हैं । सिचिंत भूमि को नियमानुसार डबल करने पर 0.78 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी के पास होती हैं । राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 12 आवंटन की सीमा – " **इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, आवंटित की जाने वाली भूमि की सीमा (4 हैक्ट. से अधिक नहीं होगी , किन्तु शर्त यह होगी की किसी भी दशा में इन नियमों के अधीन आवंटित किये जाने वाले कुल क्षेत्र, आवंटी द्वारा पहले से ही धारित क्षैत्र या उसके काल्पनिक अंश, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित हो , को मिलाकर (4 हैक्ट.) से अधिक नहीं होगा ।"**

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्ते –

1. **आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।**

1. क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।

2. लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।

3. आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।

4. यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।

आवंटित भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर खाली पडी हुई हैं । अप्रार्थी को आवंटन दिनांक 18.02.2013 को किया गया। भू आवंटन पत्रावली के परीक्षण अनुसार आवंटी का इस भूमि पर कब्जा नहीं हैं एवं भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) अनुसार आवंटी ने आंवटनशुदा भूमि पर काश्त नहीं की है। वादग्रस्त आराजियात के वर्तमान स्थिति के संबंध में तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट प्राप्त की गयी । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार " ग्राम डियास की आ. नं. 807 रकबा 2.20 हैक्ट. भूमि बहाव क्षैत्र में आती हैं तथा मौके पर पाल से घिरा हुआ हैं।" अप्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन की सभी शर्तों की पालना नहीं की गयी हैं जो प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत होकर आवंटन निरस्त योग्य ठहरता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी सं. 01 के नाम पर किया गया आवंटन निरस्त योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाता है। भू–आवंटन कमेठी द्वारा दिनांक 18.02.2013 को विपक्षी को ग्राम डियास पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां में आ0 नं0 807 में रकबा 0.50 हैं0 भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तलविदा रिकार्ड़ मय निर्णय प्रति के पालनार्थ उपखण्ड़ अधिकारी, शाहपुरा/ तहसीलदार फूलियाकलां को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.17

(एल.आर. गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा